

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला बून्दी के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार प्रथम स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

1.	श्रीमती प्रेम बाई	प्रधान, पं.स. बून्दी	सदस्य
2.	श्री विरेन्द्र सिंह	प्रधान, पं.स. केसोरायपाटन	सदस्य
3.	श्री राजेश रायपुरीया	प्रधान, पं.स. तालेडा	सदस्य
4.	श्री मोहन नागर	उप प्रधान, पं.स. नैनवा	सदस्य
5.	श्री नंद भंवर, ग्राम-दाता, तह. हिण्डोली	सरपंच	सदस्य
6.	श्रीमती आशा इनाणी पत्नी श्री महावीर, खीण्या, तह. हिण्डोली, बून्दी		सदस्य
7.	श्री लक्ष्मण बैरवा, डी.आर. पुत्र श्री रामदेव, ग्राम डाबेटा, तह. हिण्डोला, बून्दी		सदस्य
8.	नवैद केशर लखपति		सदस्य
9.	श्री सत्यनारायण मीणा, आमली, पं.स. बून्दी		सदस्य
10.	श्री अमजद पठान पुत्र श्री आशिक भाई, नैनवा, बून्दी		सदस्य
11.	श्री राजकुमार माथुर		सदस्य
12.	श्री बालू राम मीणा, ग्राम दाता, तह. हिण्डोली, बून्दी		सदस्य
13.	श्री रामप्रसाद यादव सरपंच पुत्र श्री हीरालाल, (ग्राम धाबाईयों का नयागांव, तह. हिण्डोली, बून्दी)		सदस्य
14.	श्री बाबूलाल वर्मा पुत्र श्री पांचूलाल रैगर, (इंद्रा कॉलोनी, नैनवा रोड़, रजत गेट नं. 6 के सामने, बून्दी)		सदस्य
15.	श्री घासीलाल मेघवाल, पूर्व विधायक पुत्र श्री कालू लाल मेघवाल, (ग्राम नयागांव, पो. हिंगोनिया, तह. केशवराय पाटन, बून्दी)		सदस्य
16.	श्री मनोज सैनी पुत्र श्री प्रेमचन्द सैनी, हिण्डोली		सदस्य
17.	श्री प्रेम शंकर बैरवा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, बून्दी		सदस्य
18.	श्री सतीश गुर्जर, चतरगंज		सदस्य
19.	श्री सत्येश शर्मा, बून्दी		सदस्य
20.	श्री राकेश बोयत, पूर्व जिला प्रमुख		सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



21.	श्री सी.एल. प्रेमी, पूर्व विधायक	सदस्य
22.	श्री मूलचन्द गौतम, निमोदा, पो. चितावा, तह. केशोरायपाटन	सदस्य
23.	श्री भगवान नुवाल	सदस्य
24.	श्रीमती रूपकला मीणा	सदस्य
25.	श्री भरत शर्मा	सदस्य
26.	जिला प्रमुख	सदस्य
27.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
28.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
29.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
30.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्	सदस्य
31.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
32.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:—

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(सुशील कुमार कुलहरी)

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मा0 उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
6. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित)।
8. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त, कोटा।
11. जिला कलेक्टर, बून्दी को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
12. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

नोट:— समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226

